श्रीमान ...

8/11/2024

पत्रा· पेश हुई। वकील अपीलांट उपस्थित। वकील अपीलांट की ओर से बहस एकतरफा में सुनी गई। प्रार्थी/अपीलांट वकील की ओर से कथन रहे कि विवादित आराजी खाता संख्या 35, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 888, 889, 4, 370, 154, 245, 371, 732 929, 574, 243, 244, 246, 247, 1148, 1106, 284, 1102, 887, वाके ग्राम बड़ामदी में स्थित है। जिसका अपीलांट राजस्व रिकॉर्ड अशुद्ध नाम जगराम पुत्र गोविन्दा के नाम से हिस्से अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त आराजी का नामान्तरण दिनांक 11/7/1978 को ग्राम पंचायत बड़ामदी में विरासत का नामा० रजिस्टर संख्या 01 के द्वारा खोला गया। जिसमें सहवन से जगजिंदे के स्थान पर जगराम नाम अंकित हो गया है। [illegible] सभी [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:03:54 IST
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं अन्य दस्तावेजात में अपीलांट प्रार्थी का नाम सही नाम जगमोहिर अंकित है। उक्त आराजी प्रार्थी को विरासतन प्राप्त हुई है। अतः उक्त त्रुटि विरासत का नामान्तरण खोलते समय हो गई थी। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी का नाम शैक्षणिक दस्तावेजात के आधार पर जगराम पुत्र गोविन्दा के स्थान पर जगमोहिर पुत्र गोविन्दा दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

हमने बहस को सुना, उपलब्ध रिकॉर्ड एवं शैक्षणिक दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया तो पाया कि प्रार्थी के नाम की त्रुटि नामान्तरण बावत विरासत के समय हुई है। अतः प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस आशय के साथ ~~प्रति~~ प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर नामान्तरण की जांच करते हुए नियमानुसार कार्यवाही कर निर्णय की करेंगे। तहसीलदार नदबई को प्रतिलिपि भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तकमील होकर नम्बर से दफ्तर दाखिल दफ्तर हो कर कम की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ganga Dhar Meena
Date: 2025.06.23 15:08:54 IST
Reason: SelfAttested